①

कार्यालय कलेक्टर (शिकायत शाखा) जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

ज्ञापन

क्रमांक/2403/जसनिशि/2017

बेमेतरा, दिनांक ~~23.6.2017~~ 23.06.2017

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी (रा)
बेमेतरा/नवागढ़/साजा

विषय :- जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किये जाने बाबत्।

-00-

जिले के ग्रामीण जनता की समस्याओं/मांगों के समाधान हेतु शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक माह दो जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किया जाना है। अतः माह जुलाई 2017 से दिसम्बर 2017 तक निम्नानुसार शिविर आयोजित है।

क	माह का नाम	विकासखण्ड का नाम	प्रस्तावित शिविर स्थल का नाम (ग्राम)	प्रस्तावित दिनांक	रिमार्क
1	जुलाई	**साजा**	पेन्ड्रावन	07.07.2017(शुक्रवार)	
2	जुलाई	**बेमेतरा**	भनसुली	21.07.2017(शुक्रवार)	
3	अगस्त	**नवागढ**	झाल (बड़े)	09.08.2017(बुधवार)	
4	अगस्त	**बेरला**	बोरसी	31.08.2017(गुरूवार)	
5	सितंबर	**साजा**	कुरूद	08.09.2017(शुकवार)	
6	सितंबर	**बेमेतरा**	खण्डसरा	20.09.2017(बुधवार)	
7	अक्टूबर	**नवागढ़**	कटई	11.10.2017(बुधवार)	
8	अक्टूबर	**बेरला**	अतरगढ़ी	28.10.2017(शनिवार)	
9	नवंबर	**साजा**	बेलगांव	10.11.2017(शुकवार)	
10	नवंबर	**बेमेतरा**	पंचभैया	24.11.2017(शुकवार)	
11	दिसंबर	**नवागढ़**	सेमरिया	06.12.2017(बुधवार)	
12	दिसंबर	**बेरला**	सिंघौरी	21.12.2017(गुरूवार)	

कलेक्टर बेमेतरा(छ.ग.)
क्रमांक 1 दिनांक 18.6.17
वापसी का दिनांक

उक्त स्थानों पर आयोजित होने वाले जन समस्या निवारण शिविरों की सफलता हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:-

1. प्रत्येक शिविर स्थल पर कार्यकम का प्रारंभ प्रातः 10:30 बजे से होगा।
2. उक्त शिविरों मे क्षेत्र के मान.सांसद/मा.विधायक/जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों सहित अन्य स्थानीय जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जावे।
3. शिविर के समस्त आयोजन हेतु शिविर की तिथि एवं शिविर स्थल के संबंध मे जनता को जानकारी देने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे। शिविर के दो दिन पूर्व ग्राम कोटवारों के माध्यम से आसपास के प्रत्येक ग्राम में मुनादी कराई जावे ताकि अधिक संख्या में जनता शिविर में उपस्थित होकर शिविर का लाभ उठा सकें।
4. प्रत्येक शिविर स्थल के मुख्य द्वार पर जनसमस्या निवारण शिविर, विकास खण्ड का नाम एवं दिनांक (जो हो) का बैनर लगाया जावे।

5. एक मार्गदर्शन कक्ष की व्यवस्था की जावे, ताकि शिविर में आने वाली जनता को समुचित मार्गदर्शन दिया जा सके।
6. प्रत्येक विभाग शिविर स्थल पर अपने विभाग के नाम का बैनर लगायेंगे, ताकि जनता को मालूम रहे कि कौन से विभाग के कर्मचारी कहां उपलब्ध रहेंगे। कक्ष कमांक भी द्वार पर अंकित किया जावे।
7. जनता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों के पंजीयन हेतु पंजीयन कक्ष की व्यवस्था की जावे। पंजीयन कक्ष में पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तैनात रहे यह सुनिश्चित करें।
8. पंजीयन पश्चात् पंजीयन का कमांक एवं संबंधित विभाग का कक्ष कमांक, आवेदन पत्र पर अंकित कर आवेदक को संबंधित विभाग के कक्ष तक पहुंचाने कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जावे।
9. शिविर में जिला स्तर के सभी विभाग प्रमुख अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ उपस्थित रहेंगे।
10. प्रत्येक विभाग एक पंजी संधारित करेगा, जिसमें विकास खण्ड का नाम/पंचायत का नाम/ग्राम का नाम/आवेदक का नाम/आवेदन में लिखित समस्या का सार संक्षेप/समस्या के निराकरण का सार संक्षेप/यदि मौके पर समस्या का निराकरण संभव न हो तो समस्या निवारण की समयावधि का लेख पंजी में किया जावे। निराकरण हेतु समय–सीमा अधिकतम 45 दिनों मे किया जाना सुनिश्चित करें।
11. अल्प संख्यक वर्ग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग की समस्याओं का समाधान अत्यधिक संवेदनशीलता से किया जावे।
12. शिविर में प्राप्त आवेदन पत्रों पर संबंधित विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है। इसकी जानकारी वे माईक पर देंगे।
13. शिविर में विकास खण्ड स्तर के मैदानी कर्मचारी जैसे–पटवारी/ग्राम सहायक/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/स्वास्थ्य कार्यकर्ता/ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी/हैण्डपंप मेकेनिक/वन रक्षक/लाइनमेन आदि उपलब्ध रहेंगे।
14. मुख्य कार्यपालन अधिकारी शिविर स्थल पर पीने के पानी की व्यवस्था/प्राथमिक चिकित्सा सुविधा/महिला एवं पुरूष के लिए पृथक–पृथक प्रसाधन (टॉयलेट) की व्यवस्था भी रखेंगे।
15. प्रत्येक शिविर के समाप्ति के पश्चात् संबंधित विकास खण्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत का यह दायित्व होगा कि प्रत्येक विभाग से संपर्क कर प्राप्त आवेदन पत्रों के निराकरण एवं शेष की जानकारी अपने अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी (रा) को सौपेंगे तथा अनुविभागीय अधिकारी (रा) का यह दायित्व होगा कि वे निर्धारित प्रपत्र– "अ" प्राप्त आवेदनों की जानकारी एवं प्रपत्र–"ब" विभागों द्वारा बांटे गए सामाग्री की जानकारी संकलित कर 03 दिवस के भीतर जिला कार्यालय को प्रेषित करें।
16. प्रत्येक शिविर में कम–से–कम 1000 पौधे वितरित करना है जिसे वन व उद्यानिकी विभाग उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
17. जिला स्तरीय जनसस्या निवारण शिविर के प्रभारी अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (रा) होंगे।

22-06-2017

कलेक्टर

जिला–बेमेतरा